राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018-19/21605 दिनांकः 4/1/2018

बोली संख्या -81

विभाग में निम्नानुसार एक वर्ष की दर संविदा हेतु बोलियां के इच्छुक/अनुभवी बोलीदाताओं से मुहरबन्द लिफाफे में बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	निविदा का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा बेचे जाने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	**कंप्यूटर हार्डवेयर**	2.00 लाख	200/-	4000/-	23.01.2018 12:00 PM	23.01.2018 1:00 PM	23.01.2018 3:00 PM
2.	**कंप्यूटर कार्ट्रिज रिफिल्लिंग**	2.00 लाख	200/-	4000/-			

नोट :-

1. बोली दस्तावेज निर्धारित शुल्क का भुगतान कर विभागीय रोकडिये से निर्धारित दिनांक/समय तक किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त किया जा सकता है।
2. बोली दस्तावेज प्रपत्र एवं शर्ते विभागीय वेबसाइट "www.tourism.rajasthan.gov.in" अथवा "www.dipr.rajasthan.gov.in" अथवा sppp portal पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट पर डाउनलोड किये गये प्रत्येक प्रपत्र की कीमत रुपये 200/- बोलीदाता द्वारा पृथक से डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद जैसा भी हो, जमा कराना होगा।
3. इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त सभी आईटमों अथवा कम के लिए अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है। दर प्रस्ताव संबंधित कार्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंको व शब्दों में प्रस्तुत किये जावें।
4. बिना बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त तथा सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नही होगी।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्य क्षेत्र –

1. **कम्प्यूटर हार्डवेयर –** विभाग को वर्ष के दौरान लगभग रु. 2.00 लाख की कम्प्यूटर हार्डवेयर सामाग्री की आवश्यकता होगी। संभावित कम्प्यूटर हार्डवेयर सामाग्री का विवरण इस हेतु निर्धारित वित्तीय बोली प्रपत्र में अंकित है। सफल बोलीदाता को आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति तद्नुसार एवं कार्यादेश में निर्धारित अवधि में करनी होगी।

नोट :– इच्छुक बोलीदाता सभी या किसी एक या इच्छानुसार एक से अधिक बोलियो हेतु अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है जिसके लिए तदानुसार बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई जानी होगी।

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी : बोलीदाताऐं बोली देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

1. बोलीदाता बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से निविदा प्रपत्रों की पूर्ति कर बोली भरी जानी चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से .... कार्य के लिए निविदा प्रस्ताव अंकित किया जावें।
2. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
3. बोली उन फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड अनुमोदित प्रदायक हैं, या उनके द्वारा जो उस सामान का जिसके लिए बोली दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं।
4. प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है।
5. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा।
6. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिये और किसी ऐसे सामान के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं हैं, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये। सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा बोलीकारों के लिए मान्य होगा। प्रदाय की गई किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा जिन्हे अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से बोलीकारों के जिम्मे होगी।
7. अस्वीकृत वस्तुओं को, अस्वीकृत की सूचना की तारीख से 7 दिवस में बोली देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये। सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके भू–गृहादि में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए वे किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगें।
8. बोलीदाता, सामान की सही तरीके से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा।
9. समस्त प्रस्तावित दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में भी दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी निदेशक, पर्यटन विभाग, होटल खासा कोठी परिसर, एम. आई. रोड, जयपुर में देनी होगी।
10. बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई है के द्वारा वस्तुओं की प्रदाय की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करनी होगी। क्रय अधिकारी बिना कारण बताये सप्लाई आदेश को घटा/बढ़ा सकता है। क्रय आदेश कार्यालय में सामान की आवश्यकतानुसार समय–समय पर दिये जावेगें। विशेष परिस्थितियों में विभाग को समय–समय पर आवश्यकतानुसार सामग्री/आवश्यकता की तुरन्त शीघ्र सप्लाई करने के लिए मांग की सूचना दूरभाष पर दी जा सकती है, जिसकी पुष्टि पत्र द्वारा भी भेजी जावेगी ऐसी मात्रा की सप्लाई निर्धारित दिवस में करनी होगी।
11. वस्तुओं का प्रदाय विभाग के समाधानप्रद नहीं होने पर प्रदाय की संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।
12. बोली स्याही पैन या बालपैन से भरी जानी चाहिए। पैंसिल से या अन्य किसी से भरी गई किसी भी

निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये। कोई ऑवर राईटिंग नहीं की जानी चाहिए। शुद्धियां यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

13. बोलीदाता को, निविदा और करार की शर्तों और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।
14. सफल बोलीदाताओं को निर्धारित प्रारूप में नियमों में निर्धारित राशि के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा तथा अनुबन्ध राशि की 5 प्रतिशतः राशि प्रतिभूति के रूप में बैंकर चैक/डी.डी./एन.एस.सी. द्वारा जमा करवानी होगी जो कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात लौटा दी जाएगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा। प्रदायक को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी। यदि बोलीकारों को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि के करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग माना जायेगा तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
15. संदाय पर विप्रेक्षण व्यय (रेमिटेंस चार्जेज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेगें ।
16. यदि बोली सामान की सप्लाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह बोलीकार को सूचना दिये बिना बोलीकार के हिसाब में और उसकी जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर यह माल या उसका कोई भाग जो बोलीकार सप्लाई न कर पाया हो, और कहीं से भी खरीद लेगा। बोलीकार की सेवाएं असंतोषप्रद होने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रदद् कर दें तथा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर ले। इस सम्बन्ध में निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
17. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा एवं विधि मान्यता की अवधि तथा सुपुर्दगी की अवधि परस्पर सहमति होने पर नियमानुसार बढाई जा सकेगी ।
18. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोली या उसके किसी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. बोलीदाता, बोली के साथ अपरिहार्य रूप में सम्बन्धित सर्किल के बिक्रीकर/वाणिज्यिक कर/विभाग का चुकता करने के प्रमाण स्वरूव चालान/रिर्टन की प्रतियॉ संलग्न करेगा। जिनके बिना बोली पर विचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसी फर्म जिनका बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी फर्मे निविदा में भाग नहीं ले सकती है।
20. वैधानिक क्षेत्राधिकार जयपुर में स्थित न्यायालय ही होगें।
21. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
22. परिनिर्धारित क्षति : विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में सुपुर्दगी अवधि में सक्षम स्वीकृति के बिना विलम्ब हेतु निम्नांकित विवरणानुसार परिनिर्धारित क्षति वसूल की जावेगी :–
    - क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 2.5 प्रतिशत
    - ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए क्रय आदेश का 5 प्रतिशत
    - ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहीत अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए कय आदेश का 7.5 प्रतिशत
    - (घ) विहीत अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
23. बोली प्रपत्र के साथ कय की जाने वाली सामग्री की सूची संलग्न है, जिसमें वर्णित स्पेशिफिकेशन/मार्का के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जावे । एक वस्तु की एक ही दर बोली प्रपत्र में दी जावे। एक से अधिक दरें होने पर न्यूनतम वाली दर को ही माना जावेगा। निर्धारित

स्पेसिफिकेशन/मार्का से भिन्न अन्य स्पेसिफिकेशन/मार्का की दरें नहीं दी जावे ।

24. निविदा में वर्णित सामग्री के सेम्पल किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में आकर देखे जा सकते है।
25. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा। बिल का भुगतान कोषालय से बिल पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा ।
26. बोली उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी तथा बोली के स्वीकृत होने की स्थिति में अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष तक विधिमान्य होगी।
27. सामान की अदायगी बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जावेगी। आदेश निर्धारित दिवस में सभी सामान प्रदाय करेगा। विलम्बित सुपुर्दगी के लिए परिनिर्धारित राशि वसूल की जावेगी ।
28. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम या अधिक खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।
29. उपरोक्त शर्तों के अलावा RTPP Act 2012, एवं RTPP नियम 2013 एवं GF&AR के नियम की शर्ते एवं प्रावधान लागू रहेगें।
30. जिन बोलियों हेतु आवश्यक है, बिक्री कर एवं सेवाकर, पंजियन एवं चुकता प्रमाण पत्र :-कोई भी डीलर यदि उस राज्य में प्रचलित जहां उनका व्यवसाय स्थित है। बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजिकृत नही है तो व निविदा नही देगा। बिक्री कर पंजियन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिसके बिना निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
31. दरों की तुलना :- राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो जा नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नही है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नही किया जायेगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।
32. मूल्य अधिमान :- मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उधोगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उधोगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उधोगों को अधिमान)नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।
33. सफल निविदादाता को कार्य की लागत की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं विहित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
34. निविदा प्रपत्रों के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/केश रिसिप्ट संलग्न की जावें।
35. मैनें/हमने निविदा/संविदा की समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है एवं इनसे सहमति स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा इन पर हस्ताक्षर किये है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

बोली प्रपत्र की समस्त शर्तो को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

निविदा फार्मो को जमा कराने का प्रार्थना पत्र का प्रारूप
(निम्न प्रार्थना पत्र के साथ निविदा के फार्म को जमा कराना अनिवार्य है)

निदेशक,
पर्यटन भवन, पर्यटन विभाग,
संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने),
एम. आई. रोड़, जयपुर।

विशय : निविदाओं के प्रपत्र जमा कराने बावत्।

महोदय,

मैं/हम निम्न घोषणा करते है :—

1. हमने सारे बोली से संबंधित प्रपत्रों की जाँच कर ली है।
2. हमारी बोली स्वीकार हो जाती है तो हम नियमानुसार धरोहर/सुरक्षा राशि जमा कराने को बाध्य होगें।
3. इस निविदा प्रक्रिया प्रक्रिया में हमारे द्वारा एक बोली के अतिरिक्त किसी भी रूप में भाग नहीं लिया जा रहा है।
4. हमारी फर्म को राज्य सरकार द्धारा किसी भी रूप में अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
5. हमारे द्वारा निविदा की जानकारी शर्ते आपके आदेशानुसार मान्य होगी।
6. हमारे द्वारा समझ लिया गया है कि राज्य सरकार न्यूनतम दर को स्वीकार करने हेतु मान्य नहीं है। साथ ही अन्य किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु भी बाध्य नहीं है।
7. हम घोषणा करते है कि इस निविदा के सम्बन्ध में आप द्वारा हमारे लेखों तथा रिकार्ड की जाँच की जा सकती है।
8. हम घोषणा करते है कि RTPP Act-2012 की शर्तो की पालना हमारे द्वारा की जायेगी।
9. हम स्वीकार करते है कि निदेशक, पर्यटन द्वारा प्रस्तुत शर्ते व अन्य जानकारी का पालना हमारे द्वारा की जायेगी।
10. निम्न प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न है :—

i. निविदा प्रपत्र मय हस्ताक्षर व सील के

ii. बैंकर चैक
   1. अमानत राशि .... रू0
   2. निविदा प्रपत्र फीस .... रू0

iii. VAT Clearance and सर्विस Tax प्रमाण—पत्र 31.03.2016 तक

iv. GST Registration

v. पैन कार्ड की प्रति।

vi. अनुभव प्रमाण पत्र।

vii. यदि फर्म लघु उद्योग में कोई ईकाई स्थापित किया है तो अधिकृत विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करे।

viii. यदि फर्म किसी व्यवसाय में मूल उत्पादक हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील
तथा पते के

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

क्रमांक: एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/21605 दिनांक: 4|1|2018

बोली संख्या – 81

समस्त बोलियों हेतु बोली प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	
1.	बोली का नाम एवं पत्राचार का स्थायी पता	
2.	बोलीदाता का दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर	
3.	सामाग्री/फर्म का नाम जिनके लिए बोली प्रस्तुत की गई है (बोली सूचना के अनुसार क्रम संख्या अंकित करते हुए विवरण भरें)	
4.	निविदा फार्म शुल्क की राशि	रू. 200/– नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ——— दिनांक ——— के द्वारा जमा कराई जा चुकी है।
5.	बोली प्रतिभूति राशि	रूपये ..../– (अक्षरे रूपये ....मात्र) नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ——— दिनांक ——— संलग्न है।
6.	GST Registration No.	
7.	VAT/Service Tax/GST Cleareance Certificate का विवरण	
8.	PAN नम्बर	
9.	यदि बोलीदाता लघु उद्योग में कोई इकाई है तो अधिकृत विभाग को प्रमाण पत्र संलग्न करें	

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/21605 दिनांकः 4|1|2018

बोली संख्या–81

कम्प्यूटर हार्डवेयर हेतु वित्तीय बोली

क्र. स.	सामग्री का नाम	फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर का मानक	दर (समस्त करों सहित) रुपयों में
1.	कम्प्यूटर कार्टेज 1. 88 A 2. H.P Laser Jet 12-A (1020 &1022) 3. Cannon F X 9 S 4. H.P Laser Jet 30-A 5. H.P Laser Jet 32-A(M203 DN/ M227 FDN)	प्रति नग प्रति नग प्रति नग	
2.	पेन ड्राईव 8 G B 16 G B 32 G B 64 GB	प्रति नग प्रति नग प्रति नग प्रति नग	
3.	C D (कवर सहित) DVD (कवर सहित)	प्रति नग प्रति नग	
4.	Mouse–U S B	प्रति नग	
5.	KeyBoard -U S B	प्रति नग	
6.	Ex. Hard Disk 500 G B Ex. Hard Disk 1 T B	प्रति नग प्रति नग	
7.	External HardDisk (500 GB) External hard Disk (1 TB)	प्रति नग	
8.	Power Cable	प्रति नग	
9.	Mouse & Key Board (Wireless)	प्रति नग	
10.	VGA Cable/USB Cable	प्रति नग	

नोटः– 1. अंको एव शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर जो दर कम होगी वह ही मान्य होगी।
2. प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
3 यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाप के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
4 कमेटी द्वारा सामग्री की मार्का, तादाद आदि सत्यापित करने के पश्चात ही स्टोरकीपर द्वारा सामग्री स्वीकार की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/21605 दिनांकः 4|1|2018

कंप्यूटर कार्टिज रिफिल्लिंग हेतु वित्तीय बोली

क्र. स.	सामग्री का नाम	फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर का मानक	दर (समस्त करों सहित) रुपयों में
1.	कम्प्यूटर कार्टेज रिफिल, प्रिन्टर ड्रम एवं प्रिन्टर पीसीआर रोड सहित 1. **88 A** 2. **H.P Laser Jet 12-A (1020 &1022)** 3. **Cannon F X 9 S** 4. **H.P Laser Jet 32-A(M203 DN/ M227 FDN)** 5. **H.P Laser Jet 30-A**	प्रति नग प्रति नग प्रति नग प्रति नग प्रति नग	

नोटः– 1. अंको एव शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर जो दर कम होगी वह ही मान्य होगी।
2. प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
3 यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाप के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
4 कमेटी द्वारा सामग्री की मार्का, तादाद आदि सत्यापित करने के पश्चात ही स्टोरकीपर द्वारा सामग्री स्वीकार की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

निविदा प्रपत्र

विषय : ....

कार्य की आपूर्ति के लिए निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष संख्या
....
....
....
2. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांकः एफ.10 ( ) स्टेशनरी / सा.भ. / पवि / 2017–18 / .... दिनांक.................
3. किसको सम्बोधित किया गया है :– निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा कार्यालय में जमा करा दी है ।
5. निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए हम सहमत है तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तो जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये है) का भी पालन करने के लिए हम सहमत है ।
6. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नॉन शैड्यूल में प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नाम व मात्रा के सामने दरें अंकित कर दी गई है ।
7. उक्त दरें दर अनुमोदन आदेश होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से अधिकतम 3 माह के लिये बढाया जा सकेगा।
8. धरोहर राशि हेतु निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के पक्ष में रू. .... का ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक ....द्वारा कार्यालय में जमा करा दिया गया है ।
9. इसके साथ गत वित्तिय वर्ष का बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर रजिस्ट्रेशन विभाग / उत्पाद शुल्क विभाग के कर चुकता किये जाने के प्रमाण स्वरूव गत वर्ष के चालान / रिटर्न की प्रतियॉ सॅलग्न है। बिक्री कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....
10. निविदादाता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर.प्रारूप–11 संलग्न है ।
11. PAN No. की छांयाप्रति संलग्न कर दी गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/21605 दिनांकः 4/1/2018

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
जयपुर।

विषय :– निविदा सूचना प्रकाशित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ इस विभाग की निविदा सूचना संख्या 81 क्रमांकः एफ. 10 ( ) निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/ दिनांक 5/1/18 की 5 प्रतियाँ संलग्न प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त निविदा सूचना निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें :–

उक्त निविदा का निदेशक, पर्यटन विभाग से अनुमोदन दिनांक **29.12.2017** से अनुमोदित है।

1. एक क्षेत्रीय स्तर का समाचार पत्र।
2. एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रं, जिसका प्रसारण 50000 प्रतियों या अधिक में हो।

संलग्न : 5 निविदा सूचना की प्रति एवं एक सीडी।

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक : एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/21605-07 दिनांक : 4/1/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. उप निदेशक, एसीपी, आई.टी. शाखा मुख्यालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त निविदा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

संयुक्त निदेशक
(सामान्य भण्डार)

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10( )निविदा/सा. भ./पवि/2018–19/21605 दिनांकः 4/1/2018

बोली संख्या –81

विभाग में निम्नानुसार एक वर्ष की दर संविदा हेतु बोलियां के इच्छुक/अनुभवी बोलीदाताओं से मुहरबन्द लिफाफे में बोली आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	निविदा का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा बेचे जाने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	कंप्यूटर हार्डवेयर	2.00 लाख	200/–	4000/–	23.01.2018 12:00 PM	23.01.2018 1:00 PM	23.01.2018 3:00 PM
2.	कंप्यूटर कार्ट्रिज रिफिल्लिंग	2.00 लाख	200/–	4000/–			

नोट :–

1. बोली दस्तावेज निर्धारित शुल्क का भुगतान कर विभागीय रोकडिये से निर्धारित दिनांक/समय तक किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त किया जा सकता है।
2. बोली दस्तावेज प्रपत्र एवं शर्ते विभागीय वेबसाइट "www.tourism.rajasthan.gov.in" अथवा "www.dipr.rajasthan.gov.in" अथवा sppp portal पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट पर डाउनलोड किये गये प्रत्येक प्रपत्र की कीमत रुपये 200/– बोलीदाता द्वारा पृथक से डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद जैसा भी हो, जमा कराना होगा।
3. इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त सभी आईटमों अथवा कम के लिए अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है। दर प्रस्ताव संबंधित कार्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंको व शब्दों में प्रस्तुत किये जावें।
4. बिना बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त तथा सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नही होगी।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)